

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-234
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना

*234. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी महाविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; और
(ख) स्थानीय छात्रों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री छत्रपाल सिंह गंगवार द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 234 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): शिक्षा एक ऐसा विषय है जो भारत के संविधान की समर्वती सूची के अंतर्गत आता है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने की विधायी शक्ति है। राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधान के एक अधिनियम द्वारा की जाती है, वे संबंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं और राज्य के मौजूदा उच्चतर शिक्षण संस्थान की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए विकास निधि मुख्य रूप से उस राज्य सरकार का विषय है।

2. इस मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्प-सेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 75.6 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के लिए 5 इकाइयों का अनुमोदन किया गया है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रं. सं.	घटक का नाम	चरण रूसा	संस्थान का नाम	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (₹)
1	कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	रूसा 1	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, फरीदपुर, बरेली, (सी-13414)	1,20,00,000
2	कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	रूसा 1	राम मनोहर लोहिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आंवला, बरेली (सी-13415)	1,20,00,000
3	कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	रूसा 1	वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, बरेली (सी-13470)	1,20,00,000
4	विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	रूसा 1	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय (यू-0525)	12,00,00,000
5	बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु)	पीएम-उषा	महात्मा ज्योतिब पुले रोहीखंड विश्वविद्यालय, बरेली (यू-0525)	60,00,00,000
			कुल	75,60,00,000

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि बरेली जिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च)/12ख के तहत 03 सरकारी कॉलेजों और 45 गैर-सरकारी कॉलेजों को शामिल किया गया हैं। यह ब्यौरा यूजीसी की वेबसाइट <http://www.ugc.ac.in> पर उपलब्ध है। यूजीसी ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए देश भर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सुविधा प्रदान की है। संस्थानों को प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, बीवोक, पीजी डिप्लोमा, एम.वोक और अनुसंधान के स्तर पर कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ पूर्णकालिक, क्रेडिट-आधारित कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है।

यूजीसी ने बरेली, उत्तर प्रदेश में पांच संस्थानों को स्व-वित्त आधार पर वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल आधारित कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संस्थानों के नाम
1.	त्रिलोक चंद डिग्री कॉलेज चितौली, फतेह गंज (यू), बरेली - 243 501, उत्तर प्रदेश
2.	आला हजरत डिग्री कॉलेज, नैनीताल रोड, देवरानियन बहेड़ी, जिला बरेली - 234 203, उत्तर प्रदेश
3.	अनुबिस डिग्री कॉलेज एनएच - 24, पड़ौरा, मीरागंज, बरेली - 243 504, उत्तर प्रदेश
4.	प्रीति रूरल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, प्रीति विहार, पोस्ट काकरा कलां, बीसलपुर रोड, बरेली - 243 503, उत्तर प्रदेश
5.	सरदार बल्लभ भाई पटेल डिग्री कॉलेज, भोजीपुरा, बरेली- 243202, उत्तर प्रदेश
